संख्या-24/8/76-का-प्रसको/2005

प्रेषक,

प्रदीप शुक्ला,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

कार्मिक विभाग-प्रशिक्षण समन्वय प्रकोष्ठ, लखनऊ :: दिनांक 28 जुलाई, 2005

विषयः-प्रदेश के प्रशिक्षण संस्थानों में तैनात संकाय अधिकारियों को प्रशिक्षण भत्ता अनुमन्य कराया जाना ।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआा है कि कतिपय स्रोतों से किये गये अनुरोध के दृष्टिगत , सम्यक् विचारोपरान्त उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-2220/का-प्रसको-24/8/1976 ,दिनांक 14 फरवरी, 1989 के प्रस्तर-1(6) को निम्नवत् संशोधित किये जाने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया है :-

" 1(6) उपर्युक्त प्रशिक्षण भत्ता अनुमन्य होने पर संकाय अधिकारी को पहले से अनुमन्य विशेष वेतन, संकाय भत्ता तथा प्रतिनियुक्ति वेतन / भत्ता तथा उन पर देय भत्ते स्वतः समाप्त हो जायेंगे ।

परन्तु उपर्युक्त को छोड़कर अन्य कोई भी भत्ता यदि सुसंगत नियमों के अन्तर्गत अन्यथा अनुमन्य हो , देय होगा ।"

2. समसंख्यक शासनादेश दिनांक 12 मई, 1999 के प्रस्तर-1(3) को भी उपर्युक्तानुसार संशोधित समझा जाय ।

3. प्रशिक्षण भत्ता प्रदान करने के संबंध में अन्य शर्ते पूर्ववत् प्रभावी रहेंगी ।

4. उक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-जी-1-562/दस-2005,दिनांक 18.7.2005 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(प्रदीप शुक्ला)
सचिव ।

संख्या-24/8/76(1)का-प्रसको/2005, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त विभागाध्यक्ष/ प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
2. निदेशक/प्रधानाचार्य, समस्त प्रशिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश।

3. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
4. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
5. वित्त (सामान्य)अनुभाग-1(02 प्रतियों में)
6. समस्त वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग
7. इरला चेक (वेतन पर्ची प्रकोष्ठ ।

आज्ञा से,

(बी0एन0दीक्षित)
विशेष सचिव।